समग्र शिक्षा, राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.

शाला प्रबंधन समिति प्रशिक्षण

सत्र 2021-23 (फ़रवरी 2022)

प्रशिक्षण समय सारिणी

समय	विषय	प्रशिक्षक का नाम
9:30 से 10:00	रजिस्ट्रेशन /पंजीयन	प्रशिक्षण कक्ष
10:00 से 11:00	प्रतिभागियों का स्वागत एवं प्रशिक्षण के उद्देश्य साझा करना (कॉमन सत्र)	प्रशिक्षण कक्ष
11:00 से 11:15	चाय काल	
11:15 से 11:45	सत्र 1 : प्रतिभागियों का परिचय	प्रशिक्षित प्रशिक्षक
11:45 से 12:15	सत्र 2: एस.एम.सी फिल्म 1 (एस.एम.सी. का महत्त्व) दिखाना व बातचीत	प्रशिक्षित प्रशिक्षक
12:15 से 12:45	सत्र 3 :शाला प्रबंधन में पालकों की भागीदारी	प्रशिक्षित प्रशिक्षक
12:45 से 1:15	सत्र 4: IVRS नंबर का उपयोग एवं उपयोगिता	प्रशिक्षित प्रशिक्षक
1:15 से 2:00	सत्र 5: बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए ज़रूरी तत्व	प्रशिक्षित प्रशिक्षक
2:00 से 3:00	लंच /भोजन अवकाश	
3:00 से 3:30	सत्र 6 :एस.एम.सी फिल्म 'सफल बैठक सफल एस.एम.सी.' दिखाना व बातचीत	प्रशिक्षित प्रशिक्षक
3:30 से 3:45	सत्र 7: शपथ ग्रहण पर बातचीत और संचालन	प्रशिक्षित प्रशिक्षक
3:45 से 4:00	समापन	प्रशिक्षित प्रशिक्षक

सत्र 1 – प्रतिभागियों का परिचय

समय – 15 मिनट

- **सर्वप्रथम सभी प्रतिभागियों को एक गोल घेरे में खड़ा कर लें |**
- **इसके बाद प्रशिक्षक प्रतिभागियों को यह बताएं की वह किसी एक प्रतिभागी को गेंद फेंककर देंगें | जिस प्रतिभागी के पास गेंद जायेगी वह प्रतिभागी अपना नाम, प्रतिभागी के नाम के पहले अक्षर से शुरू होने वाली 3 खाने की वस्तुओं के नाम बताएँगे |**
- **उदाहरण के तौर पर मेरा नाम राम है | नाम के पहले अक्षर से शुरू होने वाली तीन खाने की वस्तु हैं :- रसगुल्ला , रवड़ी, रसमलाई |**
- **तत्पश्चात प्रशिक्षक किसी एक प्रतिभागी की ओर गेंद उछालेगा | वह प्रतिभागी गेंद पकड़ने के बाद अपने नाम के पहले अक्षर से शुरू होने वाली खाने की तीन वस्तुओं के नाम बताएगा और इसके बाद किसी दूसरे प्रतिभागी की तरफ गेंद उछालेगा और एक कदम पीछे हो जायेगा |**
- **दूसरा प्रतिभागी इस क्रम को दोहराएगा | यही क्रम तब तक चलेगा जब तक सभी प्रतिभागियों के पास गेंद नहीं पंहुच जाती |**

सत्र 2 : एस.एम.सी फिल्म 1 (एस.एम.सी का महत्त्व) दिखाना व बातचीत

उद्देश्य : एस.एम.सी के महत्त्व को जानना

एस.एम.सी की फिल्म का लिंक दिया गया है , इस पर क्लिक करें |

https://drive.google.com/file/d/1t14hEgqVWRqtbL7Ld2y8G5SRqDiT9mfM/view?usp=sharing

बातचीत के चरण :

1. **क्या आपने कभी शाला प्रबंधन समिति के बारे में सुना है ? वह क्या काम करती है और किसके लिए काम करती है ?**
2. **आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, क्या उसमें भी शाला प्रबंधन समिति है?**
3. **क्या फिल्म में इस प्रकार की किसी समिति के बारे में चर्चा हुई ?**
4. **वह समिति किस मुद्दे पर काम करती हुई दिख रही थी ?**

कुछ प्रमुख बातें :

- शाला प्रबंधन समिति प्रत्येक शाला में होना अनिवार्य है और इसका उल्लेख शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किया गया है |
- शाला प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले | यही इस समिति का महत्त्व है |
- हमने फिल्म के माध्यम से जाना की हर स्कूल की शाला प्रबंधन समिति में 18 सदस्य होते हैं , जिनमें से 14 सदस्य उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता होते हैं|
- इस समिति की अध्यक्षता बच्चों के पालक द्वारा ही की जाती है इसलिए इस समिति के द्वारा लिया जाने वाला हर निर्णय बच्चों के हित में होता है |
- इस समिति के पास कुछ ख़ास अधिकार होते हैं जिसकी मदद से वे अपने गाँव के स्कूल की प्रतिदिन की गतिविधियों की निगरानी कर सकते हैं और उसमें शिक्षकों की मदद भी कर सकते हैं |
- इसके अतिरिक्त वे स्वयं शाला में पढ़ने वाले हर बच्चे की शैक्षिक प्रगति/स्तर के बारे में शिक्षक से सीधे बातचीत भी कर सकते हैं |शाला प्रबंधन समिति अपने गाँव के स्कूल के लिए ज़रूरी संसाधन जुटाने में शिक्षकों को सलाह और मदद दे सकती है |

सत्र 3 : शाला प्रबंधन में पालकों की भागीदारी

उद्देश्य

- **बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में शाला प्रबंधन समिति / पलाकों की भागीदारी को समझना**

  फोल्डर के लिए लिंक दिया गया है , उसे खोलने के लिए इस पर क्लिक करें |

  https://drive.google.com/file/d/1w-KZLPPC674qTWMnxumRZEZa2MDaZKKo/view?usp=sharing

बातचीत के चरण :

- **क्या आपने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारें में सुना है ?उसमें शाला प्रबंधन समिति के बारे में क्या कहा गया**
- **है ?**

प्रतिभागियों के जवाब :

शाला प्रबंधन समिति

- शाला प्रबंधन में बच्चों के पालकों/अभिभावकों को भागीदार बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत शाला प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान।
- शासकीय तथा स्थानीय निकाय की शालाओं और अनुदान प्राप्त प्रायवेट शालाओं में समिति के गठन की व्यवस्था।
- समिति में 50 प्रतिशत महिलाओं का सदस्य होना आवश्यक।
- बच्चों के पालकों/अभिभावकों में से तीन चौथाई सदस्य समिति में शामिल।
- ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत में पंच तथा नगरीय क्षेत्र में पार्षद समिति के सदस्य।
- बच्चों के पालकों/अभिभावकों में से समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव।

शाला प्रबंधन समिति के गठन की प्रक्रिया से अवगत करायें |

प्रदेश में शाला प्रबंधन समितियों का गठन

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम– 2011 तथा राजपत्र क्रमांक– 413 दिनांक– 04 अक्टूबर 2019 में किए गए संशोधन के अनुसार समस्त प्राथमिक, माध्यमिक एवं कक्षा 1 से 8 की संयुक्त माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समिति की संरचना निम्नानुसार रखी गयी है–

सदस्य विवरण	सदस्य संख्या
बच्चों के पालक/अभिभावक	14
शाला स्थित वार्ड के पंच/पार्षद	1
ग्राम पंचायत के सरपंच/नगरीय निकाय के मेयर/अध्यक्ष द्वारा नामांकित महिला पंच/पार्षद	1
शाला के प्रधान अध्यापक/प्रभारी अध्यापक	1
शाला में पदस्थ वरिष्ठ महिला शिक्षिका	1
कुल योग	**18**
शाला के प्रधान अध्यापक/प्रभारी अध्यापक	सदस्य सचिव

- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मुख्य तौर पर बच्चों के अधिकारों के बारे में क्या कहता है ?**

प्रशिक्षक बातचीत करते हुए ऊपर दिए कुछ शब्दों के उदाहरण बताने के लिए कहें | जैसे: स्क्रीनिंग करने तथा कैपिटेशन फीस , बच्चों को शारीरिक दण्ड देने तथा मानसिक रूपस से प्रताड़ित करने पर रोक |

- शाला में पर्याप्त शिक्षण कक्ष, पीने के पानी की व्यवस्था, बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय, खेल मैदान, पठन–पाठन सामग्री, खेल सामग्री की व्यवस्था।
- शिक्षण सत्र के दौरान साल भर में प्राथमिक शाला में कम से कम 800 घंटे और माध्यमिक शाला में कम से कम 1000 घंटे पढ़ाई होना आवश्यक। शिक्षकों के लिए प्रतिदिन का शाला समय साढ़े सात घंटे (अध्यापन की तैयारी समय सहित) निर्धारित।
- बच्चों के अधिकार का उल्लंघन होने पर स्थानीय निकाय और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को जांच का अधिकार।
- अधिनियम के तहत शिक्षकों के दायित्व निर्धारित, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने का प्रावधान।
- प्रायवेट/निजी शाला का मान्यता प्राप्त होना आवश्यक।

बच्चों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए शाला प्रबंधन समिति के क्या कार्य हैं

शाला प्रबंधन समिति के कार्य

- शाला संचालन की मानिटरिंग करना।
- शाला विकास योजना तैयार तथा उनके कियान्वयन के लिए अनुशंसा करना।
- शाला को प्राप्त अनुदान के उपयोग की मानिटरिंग करना।
- अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जनसमुदाय को जानकारी देना।
- शाला में शिक्षक नियमित रूप से समय पर उपस्थित हो रहे हैं इसकी निगरानी करना।
- बच्चों के पालकों/अभिभावकों के साथ शिक्षक द्वारा नियमित बैठक कर बच्चों की उपस्थिति तथा उनकी शैक्षणिक स्थिति की चर्चा किया जाना सुनिश्चित करना।
- शाला के आस–पास के सभी बच्चे नामांकित हों और शाला नियमित आयें यह सुनिश्चित करना।
- अधिनियम के प्रावधान के अनुसार शाला में शिक्षक पदस्थ हैं और अधोसंरचना उपलब्ध है इसकी मानिटरिंग करना।

अधिनियम के अंतर्गत वर्णित बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन होने की दशा में इसे स्थानीय निकाय की जानकारी में लाना।

- शाला में निःशक्त बच्चों के अध्ययन हेतु आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता की मानिटरिंग करना।
- शाला में मध्यान्ह भोजन के क्रियान्वयन को मानिटर करना।

प्रशिक्षक निम्न प्रश्नों को लेकर बातचीत आगे बढायें | स्थानीय निकाय से क्या आशय है? निःशक्त बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाएं क्या हो सकती हैं?

सत्र 4 :आई.वी.आर.एस (इंटरैक्टिव वौइस् रिस्पांस सिस्टम)नंबर का उपयोग एवं उपयोगिता

उद्देश्य :

फ़ोन के माध्यम से किसी भी समय जान पाना:

- **शाला प्रबंधन समिति के दायित्व**
- **माता पिता /अभिभावकों के दायित्व**
- **बच्चों ने स्कूल में क्या सीखा**

प्रक्रिया:

- **उपरोक्त के बारे में जानने के लिए फ़ोन उठाएं डायल करें 8604-8604-85**
- **सभी प्रतिभागियों से फ़ोन लगवाना आवश्यक है | उन्होंने क्या सुना, क्या समझा वह सुनें |**
- **एक समय में 1000 साथी एकसाथ फ़ोन लगा सकते हैं | यदि फ़ोन व्यस्त मिले तो आप दोबारा फ़ोन लगायें |**
- **बारी -बारी करके सभी विकल्पों को ज़रूर सुनें और अपनी समझ बढायें |**

सत्र 5: बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए ज़रूरी तत्व

उद्देश्य

अच्छी शिक्षा के लिए :

- **बच्चों का नामांकन**
- **बच्चों की हाजिरी (उपस्थिति)**
- **पढ़ाई का बेहतर वातावरण**
- **स्कूल की आधारभूत संरचना**
- **सीखने के परिणाम**

  पोस्टर के लिए लिंक नीचे दी गई है उसे क्लिक करें (कण्ट्रोल और क्लिक बटन एक साथ दबाएँ)

  https://drive.google.com/file/d/1mEcdNTrdy6WR5FQIyVYvrobUjPdBtqP5/view?usp=sharing

बातचीत का तरीका : अच्छी शिक्षा पोस्टर का प्रशिक्षण स्थल में प्रमुखता से प्रदर्शित करने के बाद प्रशिक्षक सभी प्रतिभागियों को अच्छी शिक्षा पोस्टर देखने के लिए कहें और एक-एक कर उनसे पूछे कि इस पोस्टर को देखकर उनकी क्या समझ बनी |

- **प्रतिभागी इस पोस्टर की समझ के बारे में जो भी बातें बताएं प्रशिक्षक बोर्ड पर लिखते जाएँ | यह कोशिश करें इस चर्चा में सभी प्रतिभागियों की भागीदारी हो |**
- **प्रतिभागियों की अच्छी शिक्षा पोस्टर की समझ जानने के बाद यदि प्रशिक्षक को यह प्रतीत हो कि पोस्टर के बारे में प्रतिभागियों को अधिक स्पष्टता की जरूरत है तो निम्नानुसार चर्चा कर उनकी समझ बनाएं :-**
- **प्रशिक्षक बताएं कि इस पोस्टर में एक पेड़ दिखाया गया है | इस पेड़ को स्कूल, घर , समुदाय बृक्ष या स्कूल ट्री कहकर संबोधित करेंगे | स्कूल ट्री का संबोधन करते समय पॉइंटर से पोस्टर पर बने पेड़ को समझाएं |**
- **इस पेड़ की तीन जड़ें दिखायी गई हैं | इसमें एक जड़ स्कूल है जिसका अर्थ है मास्टर और बच्चे | दूसरी जड़ घर है जिसका अर्थ है माता –पिता और बच्चे हैं | तीसरी जड़ समुदाय है जिसका अर्थ है माता-पिता के अलावा समुदाय के लोग , पंचायत / नगरीय निकाय के प्रतिनिधि आदि हैं |**

- इस पेड़ को जितना सीचेंगें जड़ उतनी मजबूत होगी | इसका कहने का तात्पर्य यह है कि स्कूल ,घर और समुदाय रुपी जड़ें जितने मजबूत होंगी उतना अच्छा स्कूल होगा ,उतनी अच्छी पढ़ाई होगी | दूसरे शब्दों में कह सकते है की शिक्षकों, बच्चों, माता-पिता और समुदाय का पूरा सहयोग मिले तो हम अपने सपने का स्कूल बना सकते हैं जिसमें बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी |
- संबोधन करते समय पॉइंटर से पेड़ के उस हिस्से को बताएं जिसके बारे में चर्चा हो रही है ताकि प्रतिभागी चित्र से विषय को जोड़कर देख सकें |
- इसके बाद स्कूल ट्री की शाखाओं के बारे में चर्चा करें | पांच शाखाएं इस प्रकार दिखाई गईं हैं :- –

1. अभिवावक द्वारा प्रधानाध्यापक और शिक्षकों से चर्चा
2. अभिभावक द्वारा बच्चों से पढ़ाई के बारे में बातचीत
3. एस .एम.सी. की नियमित बैठकें
4. एस.एम.सी. द्वारा अभिभावकों के साथ बैठक
5. बच्चों की शिक्षा

- प्रशिक्षक संबोधन करते समय पॉइंटर से पेड़ के उस हिस्से को बताएं जिसके बारे में चर्चा हो रही है ताकि प्रतिभागी चित्र से विषय को जोड़कर देख सकें |

- इसके बाद प्रशिक्षक शाखाओं से लगी डालियों और पत्तों से जुड़े बिन्दुओं को सारांश में बताते हुए प्रतिभागियों को बताएं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में इनकी क्या भूमिका है | इसके बारे में अलग से विस्तार में हम चर्चा करेंगे |

- संबोधन करते समय पॉइंटर से पेड़ के उस हिस्से को बताएं जिसके बारे में चर्चा हो रही है ताकि प्रतिभागी चित्र से विषय को जोड़कर देख सकें |

- स्कूल ट्री समझाते समय बीच –बीच में प्रतिभागियों से यह प्रश्न भी पूछते रहें कि इसके बारे में क्या समझ बनी | इससे प्रतिभागियों की प्रशिक्षण में सहभागिता बढ़ेगी और प्रशिक्षक को प्रतिभागियों की समझ के बारे में साथ-साथ आकलन भी हो सकेगा |

समेकन

- **प्रशिक्षक सत्र का समापन करते हुए बताएं कि जिस प्रकार वृक्ष को सुन्दर और हरा- भरा बनाए रखने में उसकी हर शाखा , डाल और पत्ते का योगदान है उसी प्रकार स्कूल को विद्या का मंदिर बनाने के लिए सभी पक्षकारों (स्टेकहोल्डर) का योगदान आवश्यक है |**
- **बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए घर, समुदाय और स्कूल तीनों को मिलकर पहल करने की आवश्यकता है | जिससे हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले |**
- **प्रशिक्षक बताएं किस शाखा और डाल का क्या महत्त्व है इस पर हम आगे के सत्रों में विस्तार से चर्चा करेंगे |**

सत्र 6 : एस.एम.सी फिल्म 'सफल बैठक सफल एस.एम.सी.' दिखाना व बातचीत

उद्देश्य : एस.एम.सी के सफल बैठक की प्रक्रिया को समझना

एस.एम.सी फिल्म "सफल बैठक सफल एस.एम.सी. " का लिंक दिया गया है उसे क्लिक करें |

https://drive.google.com/file/d/1EeQVvE2BUYOmY0HAyYNsgbkzBDperbrh/view?usp=sharing

बातचीत के चरण :

- **एस.एम.सी की बैठक के सफल संचालन के लिए जरुरी तीन बातें कौन सी हो सकती हैं ?**
- **एस.एम.सी सदस्यों ने फिल्म में क्या किया ?**

कुछ प्रमुख बातें :

- **बैठक का मुद्दा (एजेंडा) जिस पर बात की जाएगी , उसे तय करना |**
- **शाला प्रबंधन समिति की बैठक का समय व उसकी जानकारी सभी से साझा करना |**
- **मुद्दे से संबंधित समाधान हेतु जिम्मेदारियाँ बाँटना**

- और अगले माह की बैठक में उसकी प्रगति पर चर्चा करना और आवश्यक कदम उठाना तथा नए मुद्दों की पहचान करना जिस पर काम किया जाना है |
- हर माह 1 और वर्ष में कम से कम 10 एस.एम.सी. बैठकें किया जाना आवश्यक है |
- यह ज़रूरी है कि सभी फिल्में सभी सदस्यों को व्हाट्सएप्प भेज दी जायें | जिससे वह इसे देखें, समझें और इसकी सीख को लागू कर पाएँ |

सत्र7 : एस.एम.सी. के सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

उद्देश्य :

- **शपथ के माध्यम से एस.एम.सी. के दायित्वों के प्रति जिम्मेदार बनाना**

गतिविधि : एस.एम.सी. के सदस्यों को शपथ ग्रहण कराना

- **शाला प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण में एस.एम.सी. के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण के साथ शुरू होगा |**
- **यह सत्र शपथ दिलाने का सत्र होगा |**
- **प्रशिक्षक सत्र प्रारंभ करने के पहले शपथ पत्र की आवश्यक प्रतियां प्राप्त कर लें |**
- **संलग्नक –अ में दर्शाए शपथ पत्र में खाली स्थान पर उपस्थित सदस्य का नाम और स्कूल का नाम लिखकर शपथ पत्र की प्रति उन्हें दें | शपथ पत्र को स्त्री और पुलिंग अनुसार वाक्य को सही कर लें |**

- शपथ पत्र तैयार करते समय यह ध्यान रखा जाय कि यदि उसमें संलग्नक लिखा है तो उसे काट दिया जाय |
- इसके बाद एस.एम.सी. के सदस्यों तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को अपने –अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करें |
- प्रशिक्षण में किसी वास्तविक शाला का नाम लेकर अभ्यास करवाएँ |
- तत्पश्चात प्रशिक्षक सभी प्रतिभागियों को बताएं कि वह शपथ पत्र को एक-एक लाइन पढ़ेंगे और उन्हें अपना नाम बोलते हुए इसे दोहराना है |

शाला प्रबंधन समिति उन्मुखीकरण प्रशिक्षण, सत्र 2021-2023

शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य का शपथ प्रारूप

- मैं ------- (नाम) -------, शपथ लेता हूँ कि शासकीय शाला----------, ग्राम/वार्ड की शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा/करूंगी।
- मैं अपने ग्राम/बसाहट/मोहल्ले के 6 से 14 आयु समूह के समस्त बच्चों का नामांकन तथा उनकी उपस्थिति को लगातार सुनिश्चित करने में अपना योगदान प्रदान करूंगा/करूंगी।
- मैं विद्यालय विकास में सदैव तत्पर रहूगा/रहूंगी और शाला को प्राप्त संसाधनों का शाला हित में समुचित उपयोग सुनिश्चित करुगा/करूंगी।
- मैं शाला में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिये हर संभव प्रयास करूँगा/करूंगी।
- मैं सभी पालकों को प्रेरित करूंगा/करुंगी कि वे अपने बच्चे की गृहकार्य कॉपियों को रोजाना देखें और उसे रोजाना घर में पढ़ने के लिये भी प्रेरित करें। साथ ही बच्चों को घर में अध्ययन के लिये उचित स्थान और वातावरण प्रदान करें।
- मैं शाला को आकर्षक और साफ-स्वच्छ बनाने और बनाये रखने में अपना संपूर्ण योगदान प्रदान करूंगा/करूंगी।
- मैं शाला और बाल हित में पूर्ण सहयोग करूंगा/करूंगी तथा समुदाय को भी इस हेतु प्रेरित करूंगा/करूंगी ।
- मेरा प्रयास होगा कि, मेरे कार्यकाल का समय, स्कूल का सबसे अच्छा और यादगार समय बन सके।

IVRS पोस्टर

राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल
शाला प्रबंधन समिति संबंधी जानकारी हेतु
फोन एक
जानकारी अनेक
शिक्षा रहे जारी - शाला में भी, घर पर भी
शाला प्रबंधन समिति
(एस.एम.सी.) के दायित्व
माता-पिता या
अभिभावकों के दायित्व
बच्चे ने स्कूल में
क्या सीखा?
इनके बारे में जानने हेतु
फोन उठायें और कॉल करें
8604 8604 85
शिक्षा का अधिकार
समग्र शिक्षा अभियान
unicef